

न्यूज़ टुडे

प्रधान मंत्री द्वारा 'प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना' (PMMSY) का शुभारंभ किया गया

- प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय) का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी तथा उत्पादन के पश्चात प्रयोग किए जाने वाले बुनियादी ढांचे और प्रबंधन आदि में मौजूद दोषों का निवारण करना है।
- यह योजना मुख्य रूप से कलस्टर या क्षेत्र आधारित ड्रॉटिकोण को अपाने तथा पश्च और अग्र संपर्कों के माध्यम से मत्स्यपालन कलस्टरों के निर्माण पर बल देती है।
- > केंद्रीय क्षेत्रक योजना (Central Sector Scheme) (केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषण) अर्थात् संपूर्ण परियोजना/इकाई लागत का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
- > केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) में शामिल हैं:
 - ❖ उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि।
 - ❖ अवसंरचना और उत्पादन पश्चात प्रबंधन।
 - ❖ मत्स्य प्रबंधन और नियामक ढांचा।
- इसे वित्त वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष 2024–25 के मध्य लागू किया जाएगा।
- प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना वस्तुतः तालाबों के निर्माण और जलायी निकायों के विकास हेतु मनरेगा, विपणन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), मत्स्यन बंदरगाह हेतु सामग्रमाला परियोजना आदि जैसी कई अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण एवं इनके मध्य आवश्यक अंतर्योजन की परिकल्पना करती है।
- प्रधान मंत्री द्वारा किसानों हेतु प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक व्यापक नस्ल सुधार, बाजार और सूचना पोर्टल "ई-गोपाला ऐप" का भी शुभारंभ किया गया है।
- > यह पशुधन प्रबंधन में सहायता करेगा, जिसके तहत पशुधन के सभी रूपों (वीर्य, भ्रूण आदि) में रोग मुक्त जीवाणु (जर्मलाज्म) की खरीद एवं बिक्री, किसानों का पशु-पोषण के लिए मार्गदर्शन, उचित दवाओं के माध्यम से पशुओं के उपचार हेतु परामर्श उपलब्ध कराना इत्यादि शामिल है।

निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव अभियान व्यय सीमा (poll campaign expenditure cap) में 10% बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है

- निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में यह तर्क दिया है कि महामारी के दौरान रैलियों और बैठकों पर आयोग के प्रतिबंधों का पालन करने के लिए, एक प्रत्याशी को अतिरिक्त व्यय करना पड़ सकता है।
- निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (Conduct of Election Rules, 1961) के नियम 90 में यह उपबंध किया गया है कि प्रत्याशी द्वारा किया गया कुल चुनावी व्यय, निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। (लोकसभा के लिए: 70 लाख रुपये तथा विधानसभा: 28 लाख रुपये)।
- > प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापनों, सार्वजनिक बैठकों आदि जैसे सभी व्ययों के लिए भी एक सीमा तय की गई है।
- > निर्वाचन आयोग द्वारा अभियान व्यय पर आरोपित सीमाएं एक प्रत्याशी पर लागू होती हैं, परन्तु किसी राजनीतिक दल पर अधिरोपित नहीं होती।
- व्यय के लिए सभी प्रत्याशियों के पास अनिवार्य रूप से बैंक खाता होना चाहिए, जिसका भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा।
- > प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन पूर्ण होने के 30 दिनों के भीतर निर्वाचन आयोग के समक्ष अपना व्यय विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है।
- > किसी प्रत्याशी द्वारा गलत खाता संख्या वर्णित करने और निर्धारित सीमा से अधिक व्यय करने पर, उसे तीन वर्ष तक के लिए निर्वह (Disqualification) घोषित किया जा सकता है।
- व्यय सीमा से संबंधित मुद्दे: प्रत्याशियों द्वारा प्रायः वास्तविक चुनावी व्यय का विवरण प्रदान नहीं किया जाता है, इस व्यय सीमा के अंतर्गत राजनीतिक दलों को शामिल नहीं किया गया है, यह सीमा प्रति-उत्पादक (counter-productive) होती है, क्योंकि विधिक रूप से आय अर्जित करने वाले (white money) ईमानदार प्रत्याशी अधिकतम सीमा से अधिक व्यय करने में अक्षम होते हैं आदि।

भारत और जापान के मध्य "पारस्परिक सैन्य रसद" समझौता संपन्न हुआ:

- भारत और जापान ने भारतीय सशस्त्र बलों और जापान के आत्म-रक्षा बलों के मध्य 'आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान' के संबंध में 'एविविजिशन एंड क्रॉस-सर्विसिंग एग्रीमेंट' (ACSA) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- > इस प्रकार के समझौते "पारस्पर रसद सेवा समझौते" के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत ने ऐसे ही समझौते अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण कोरिया व सिंगापुर के साथ भी किए हैं।
- > इसके अतिरिक्त, रूस के साथ भी ऐसा ही एक समझौता विचाराधीन है।

- यह समझौता 10 वर्षों तक लागू रहेगा तथा यदि कोई भी पक्षकार देश इसे समाप्त करने का निर्णय नहीं लेता है, तो इसे आगामी 10 वर्षों की अवधि के लिए स्वतः ही बढ़ा दिया जाएगा।

महत्व:

- यह समझौता, दोनों देशों की सेनाओं को द्विपक्षीय प्रशिक्षण गतिविधियों को बनाए रखने, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों, मानवतावादी अंतर्राष्ट्रीय राहत कार्यों आदि के दौरान एक-दूसरे के सैन्य अड्डों तक पहुंच प्रदान करने में सहायता करेगा।
- भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन द्वारा तीव्रता से स्थापित किए जा रहे सैन्य अड्डों (जैसे-जिबूती) को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के समझौते, स्वयं के उपयोग हेतु महंगे विदेशी सैन्य अड्डों को स्थापित किए बिना भारत को इस क्षेत्र में पहुंच प्रदान करें।
- > इससे पूर्व अमेरिका और फ्रांस के साथ हस्ताक्षरित समझौतों के तहत भारतीय सैन्य दलों को जिबूती, गुआम, रीयुनियन द्वीप समूहों इत्यादि में स्थित महत्वपूर्ण अड्डों तक पहुंच प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हुई थी।
- यह चार राष्ट्रों के गठबंधन 'क्वाड' (संयुक्त राज्य अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया-भारत-जापान) संरचना के तहत भारत-प्रशांत क्षेत्र में जापान के साथ समग्र सामरिक सहयोग विस्तार को बढ़ावा देने वाले भारतीय प्रयासों का हिस्सा है।

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana

Aims and Objectives

- Harnessing of fisheries potential
- Enhancing of fish production and productivity
- Modernizing and strengthening of value chain - post -harvest management and quality improvement
- Doubling fishers and fish farmers incomes and generation of employment
- Enhancing contribution to Agriculture GVA and exports
- Social, physical and economic security for fishers and fish farmers
- Robust fisheries management and regulatory framework



लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टलिटी रिपोर्ट 2020 (Levels and Trends in Child Mortality Report 2020) जारी की गई

- इस रिपोर्ट में बाल मृत्यु दर (नवजात शिशुओं से लेकर किशोरों तक) तथा साथ ही वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals: SDGs) को पूर्ण करने की दिशा में हुई प्रगति को इंगित किया गया है।
- मुख्य निष्कर्ष:

- > पांच वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर (Under-five mortality rates: USMR) में वर्ष 1990 के पश्चात से लगभग 60% की कमी आई है। यह 93 से कम होकर वर्ष 2019 में 38 हो गई है। उप-सहारा अफ्रीका में USMR का स्तर सर्वाधिक है।
- > अब तक हुई कुल USMR मृत्युओं में लगभग एक तिहाई नाइजीरिया और भारत में हुई है।
- > 1 से 59 माह के बच्चों की मृत्यु दर में जितनी तेजी से कमी आई है, उतनी तीव्र गिरावट नवजात शिशु मृत्यु दर में नहीं हुई है।
- > वर्ष 2019 में पांच वर्ष से कम आयु वर्ग में हुई कुल मृत्युओं में से 47% मृत्यु नवजात काल (वर्ष 1990 में 40% थी) में हुई है।
- > वर्ष 1990 के पश्चात से किशोर मृत्यु दर में लगभग 40% की गिरावट आई है।
- > वर्ष 2019 में 122 देश, SDG लक्ष्य (प्रति 1,000 जीवित जन्मों में से 25 या उससे कम मृत्यु) के तहत निर्धारित USMR मानकों को प्राप्त करने में सफल रहे थे।
- > वर्ष 1990–2019 के मध्य भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी आई है और साथ ही यह 57 से घटकर 22 हो गई है।
- > लिंग-विशिष्ट USMR वर्ष 1990 में पुरुषों में 122 और महिलाओं में 131 रही थी। वर्ष 2019 में यह कम होकर पुरुषों में 34 और महिलाओं में 35 हो गई है।

- निम्न और मध्यम आय वाले देशों में मृत्यु दर को अत्यल्प करने के लिए जीवन रक्षक हस्तक्षेपों की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है।
- यह रिपोर्ट यूनिसेफ (UNICEF) के तत्वाधान में बाल मृत्यु अनुमान हेतु संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समूह (UNIGME) द्वारा जारी की गई है।

पांच वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर (Under-five mortality rate):

- यह जन्म के समय और ठीक 5 वर्ष की आयु के मध्य होने वाली बाल मृत्यु की संभावना को दर्शाती है। इसे प्रति 1,000 जीवित जन्मों में घटकर किया जाता है।

नवजात मृत्यु दर (Neonatal mortality rate):

- यह जन्म के समय होने वाली नवजात शिशु की मृत्यु की संभावना को दर्शाती है। इसे प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर आकलित किया जाता है।

किशोर (10–19 वर्ष आयु वर्ग) मृत्यु दर (Adolescent (age 10–19) mortality rate):

- यह 10 से 19 वर्ष की आयु के मध्य होने वाली मृत्यु की संभावना को दर्शाती है, इसे 10 वर्ष की आयु वाले प्रति 1,000 बच्चों पर आकलित किया जाता है।

वित्त मंत्री द्वारा 'डोरस्टेप बैंकिंग' सेवाओं का लोकार्पण तथा ईज़ (EASE) 2.0 सूचकांक के परिणामों को घोषित किया गया है:

- डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं की परिकल्पना मुख्यतः **EASE** (एन्हैंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस/ संवर्धित पहुंच एवं सेवा उत्कृष्टता) सुधारों के एक भाग के रूप में की गई है। इसके अंतर्गत बैंकों द्वारा बैंकिंग सेवाओं को ग्राहकों के घर पर ही उपलब्ध करवाए जाने की व्यवस्था की गई है।
- > बैंकिंग सेवाओं को कॉल सेंटर, बैंक पोर्टल या मोबाइल ऐप के संपर्क बिंदुओं के माध्यम से प्रदान किया जाता है।
- > ग्राहक इन चैनलों के माध्यम से अपने सेवा अनुरोध (service request) को भी ट्रैक कर सकते हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) हेतु "EASE" सुधार एंजेंडे को वर्ष 2018 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य सुगम और स्मार्ट बैंकिंग को संरक्षण बनाना रहा है।
- > सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में पूँजी निवेश, उपर्युक्त सुधारों के संदर्भ में PSBs के प्रदर्शन पर आधारित था।
- **EASE 6** विषयों पर आधारित है (बॉक्स देखें)
- **EASE 2.0**, को वस्तुतः **EASE 1.0** के आधार पर तैयार किया गया है। EASE 2.0 के तहत उपर्युक्त 6 विषयों के अंतर्गत समाविष्ट किए गए सुधार क्रिया बिंदुओं का उद्देश्य सुधार प्रक्रिया को अपरिवर्तनीय बनाए रखना, प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों को सुदृढ़ करना और बेहतर परिणाम प्राप्त करना है।
- EASE सुधार सूचकांक, छह विषयों में 120 से अधिक उद्देश्य मापदंडों के आधार पर प्रत्येक PSBs के प्रदर्शन का मापन करता है। यह सभी PSBs को एक तुलनात्मक मूल्यांकन प्रदान करता है और यह दर्शाता है कोई बैंक सुधार के एंजेंडे पर अन्य बैंकों के सापेक्ष कितना बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

- **ग्राहक के प्रति अनुक्रियाशीलता:** ग्राहक को संवर्धित पहुंच एवं उत्कृष्टता (ईज़) प्रदान करना।
- **उत्तरदाता बैंकिंग:** वित्तीय स्थिरता, परिणाम सुनिश्चित करने के लिए अभियासन, तथा उत्तम ऋण व्यवस्था व विवेकपूर्ण परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए ईज़।
- **क्रेडिट ऑफ-ट्रैक (ऋण बदोत्तरी):** उधारकर्ता के लिए ईज़ और ऋण का अग्रसरक्रिय वितरण।
- **उद्यमी मित्र के रूप में PSBs:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए बिल में छूट और वित्त पोषण में ईज़ सुनिश्चित।
- **वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण का विस्तार करना:** घर के निकट बैंकिंग, सूक्ष्म बीमा और डिजिटलीकरण के माध्यम से ईज़।
- **परिणाम सुनिश्चित करना:** मानव संसाधन (Human Resource: HR): ब्रांड PSB के लिए कर्मियों का विकास करना।

अन्य सुर्खियाँ

<p>रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) हेतु नवीन खंड का समावेश किया गया (New clause in Defence Foreign Direct Investment (FDI))</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ मौजूदा नीति के तहत, आधुनिक प्रौद्योगिकी या अन्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु रक्षा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा स्वचालित मार्ग के माध्यम से 49% तक और सरकारी मार्ग के माध्यम से 75% तक नियंत्रित है। ○ नई नीति में, रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है इसमें "राष्ट्रीय सुरक्षा" से संबंधित एक नए खंड (Clause) को भी शामिल किया गया है। > इस नई व्यवस्था के अंतर्गत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले किसी भी विदेशी निवेश की समीक्षा कर सकती है।
<p>भारतीय डाक द्वारा फाइव स्टार गांव योजना का शुभारंभ किया गया (India Post launches Five Star Villages Scheme)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं के सार्वभौमिक करवरेज को सुनिश्चित करना है। > इसके अंतर्गत आने वाली योजनाओं में शामिल हैं: बचत बैंक खाते, सुकन्या समुद्दित खाते, पीपीएफ खाते, ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना खाता, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना खाता आदि। ○ इस योजना का उद्देश्य सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक जागरूकता और डाक उत्पादों एवं सेवाओं तक पहुंच-अंतराल को समाप्त करना है। ○ यदि कोई गाँव उपर्युक्त सूची में से चार योजनाओं के लिए सार्वभौमिक करवरेज प्राप्त करता है, तो उस गाँव को फोर-स्टार दर्जा प्राप्त हो जाएगा तथा यदि कोई गाँव तीन योजनाओं को पूर्ण करता है, तो उस गाँव को थ्री-स्टार दर्जा दिया जाएगा।
<p>'सरोद-पोर्ट्स' सिसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिक्लेसल ऑफ डिस्प्यूट्स (विवादों के किफायती समाधान हेतु समिति) – पोर्ट्स] का शुभारंभ किया गया है (Shipping Ministry launched SAROD-Ports (Society for Affordable Redressal of Disputes-Ports))</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ सरोद-पोर्ट्स वस्तुतः समुद्री क्षेत्र में मध्यस्थी के माध्यम से विवादों के निपटान में सलाह एवं सहायता प्रदान करेंगे, जिसके तहत प्रमुख बंदरगाह और निजी बंदरगाह, जीटी, टर्मिनल, गैर-प्रमुख बंदरगाह, पोर्ट तथा शिपिंग क्षेत्र शामिल हैं। ○ इसकी स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (Societies Registration Act, 1860) के तहत निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई है: <ul style="list-style-type: none"> > न्यायपूर्ण रैति से विवादों का किफायती और समयबद्ध समाधान करना। > मध्यस्थी के रूप में तकनीकी विशेषज्ञों के पैनल के साथ विवाद समाधान तंत्र का संवर्धन करना आदि। ○ यह प्राधिकरण और लाइसेंसधारी/रियायत प्राप्तकर्ता/ठेकेदार के मध्य विवादों को कवर करेगा तथा लाइसेंसधारी/रियायत प्राप्तकर्ता और उनके ठेकेदारों के मध्य होने वाले विवाद भी इसमें शामिल होंगे।
<p>सिगरेट, बीड़ी के बट्स (बचे हुए टुकड़ों) के निपटान के लिए दिशा-निर्देश (Guidelines for cigarette, bidi butt disposal)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ राष्ट्रीय हृषि अधिकरण (National Green Tribunal) ने कैंप्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को आगामी तीन माह के भीतर सिगरेट और बीड़ी के बट्स के निपटान हेतु दिशा-निर्देश निर्मित करने के लिए निर्देशित किया है। ○ इससे पूर्व, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF) द्वारा यह पुष्टि की गई थी कि सेल्यूलोज एसीटेट (जो सिगरेट और बीड़ी के बट्स का एक प्रमुख घटक है) एक गैर-विषाक्त (nontoxic), हानि विहीन (non-irritant) और जैव निम्नीकरणीय (biodegradable) सामग्री है।
<p>एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया (US Spacecraft to be named after Kalpana Chawla)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में आपूर्ति करने वाले आगामी अंतरिक्ष यान को एस.एस.कल्पना चावला यान कहा जाएगा। ○ कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1988 में नासा (NASA) में अपने करियर की शुरुआत की थी। > उनका शोध ग्राउंड इफेक्ट (धरातल से उड़ान भरने या धरातल पर उतरने) में उड़ाने वाले विमानों द्वारा सामना किए गए जटिल वायु प्रवाह के अनुकरण (simulation) पर कैंप्रित था। > वह अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला थी। ○ वर्ष 2003 में STS-107 मिशन के दौरान अंतरिक्ष शटल कोलविया के पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होकर खड़ित हो जाने से उनकी मृत्यु हो गई थी।
<p>श्री विश्वनाथ सत्यनारायण की 125वीं जयंती मनाई गई (125th birth anniversary of Sri Viswanatha Satyanarayana)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ वह एक तेलुगू लेखक थे, जिनकी रचनाओं में कविता, उपन्यास, नाटक, लघु कथाएँ और वाणियां शामिल हैं। ○ वर्ष 1971 में उन्हें उनकी पुस्तक "रामायण कल्पवृक्षम" के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले आगामी अंतरिक्ष यान को उड़ान भरने वाले विमानों द्वारा सामना किए गए जटिल वायु प्रवाह के अनुकरण (simulation) पर कैंप्रित था। > ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ (एक साहित्यिक और अनुसंधान संगठन) द्वारा किसी लेखक को साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। ○ पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी.नरसिंहा राव द्वारा सहस्रफन नाम से उनके तेलुगू उपन्यास 'वेई पदागालू' का हिंदी में अनुवाद किया गया था। ○ उनकी कुछ कविताओं और उपन्यासों का अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, मलयालम, उर्दू और संस्कृत भाषाओं में अनुवाद किया गया है।
<p>उच्चतम न्यायलय ने मराठा आरक्षण कानून के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है (SC stays reservation to Marathas)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ उच्चतम न्यायलय ने शिक्षा और नौकरियों में मराठों को आरक्षण देने वाले वर्ष 2018 के महाराष्ट्र राज्य के कानून के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है। ○ न्यायलय ने सुनवाई हेतु इस मामले को एक सौंवैधानिक पीठ (5 या अधिक न्यायाधीशों की पीठ) को प्रेषित कर दिया है। ○ मराठा कोटा कानून को चुनौती देने वाली याचिका में यह तर्क दिया गया है कि इस कानून ने इंदिरा साहनी वाद में उच्चतम न्यायलय द्वारा घोषित आरक्षण की 50% सीमा का उल्लंघन किया है।

8468022022, 9019066066

www.visionias.in

